रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 168] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938 [N.C.T.D. No. 152

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

सं.फा.12(508)/पर्या./मांझा पर प्रतिबंध/2015/3494-3510—पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 667 (अ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उपराज्यपाल, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जारी करना प्रस्तावित करते हैं जिन्हें इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है तथा इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से साठ दिन की अवधि के बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जिस तिथि से इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध हों।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल–सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–02 को सम्बोधित किए जा सकेंगे।

प्रारूप

''जबकि, भारत के संविधान के अनुछेद 48–क में अन्य बातों के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा पर विचार किया गया है। राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा;

और जबकि, आपको ज्ञात है कि पतंग उड़ाने के दौरान लोगों और पक्षियों को काफी चोटें लगती हैं, ऐसा प्लास्टिक या अन्य सिन्थैटिक सामग्री से बने पक्का धागा, जिसे चीनी धागे के नाम से जाना जाता है, के प्रयोग के कारण होता है। ये चोंटे कई बार लोगों तथा पक्षियों के लिए प्राण–घातक सिद्ध होती हैं; अतः इसलिए प्लास्टिक या सिन्थैटिक सामग्री से बने पतंग के चीनी धागों के दुष्प्रभाव से लोगों तथा पक्षियों को बचाना अपेक्षित है;

और जबकि पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्य प्रकार से आसमान में अनेक पतंगें कट जाती हैं। यह कटा हुआ धागा पतंग के साथ जमीन पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक सामग्री की लम्बी जीवन अवधि तथा गैर–विघटनशील होने के कारण सीवरों, नालियों, प्राकृतिक जल मार्गों जैसे नदियों, नहरों आदि को अवरूद्ध करने जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा ऐसी प्लास्टिक सामग्री के साथ भोजन खाने वाली गायों और अन्य जानवरों के दम घुटने जैसी समस्याएं भी पैदा हो रहीं हैं। चीनी धागा बनाने में प्रयोग की जाने वाली इस प्लास्टिक सामग्री के अनेक और विविध दुष्प्रभाव हैं;

और जबकि इस चीनी धागे से जो गैर–विघटनशील और बिजली सुचालक होता है, इसके प्रयोग से बिजली की लाईनों तथा सबस्टेशनों पर बिजली कट जाती है जिससे उपभोक्ता की बिजली कटौती होती है, विद्युत्तीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोटें लगती है और जीवन हांनि होती हैं;

और जबकि, यह सर्वविदित है कि प्रातः छः बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं मासूम पक्षियों और दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे गिद्धों जिन्हें दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है को इस प्राण–घातक मांझे से बचाकर रखने की आवश्यकता है;

इसलिए मानवता, पशुधन, मृदा और पारिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. का. आ. 667 (अ) के साथ पठित पर्यावरण(संरक्षण)अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न निदेश देते हैः–

1. नायलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भंण्डारण, आपूर्ति एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
2. केवल सूती धागे/प्राकृतिक रेशे जो कि किसी धातु/शीशे के घटकों से रहित हैं उन्हीं से ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन से लागू होगी।

नोटः– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी निर्देशों का उलंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है जिसमें पांच साल तक कारावास तथा/अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से,
चन्द्राकर भारती, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th August, 2016

No. F. 12(508)/Env./Ban on Manja/2015/3494-3510.–The following draft of notification which the Hon'ble Lieutenant Governor proposes to issue in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period sixty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto within the stipulated period.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi, 6th Level, 'C'–Wing, Delhi Secretariat, I.P Estate, New Delhi-110002.

DRAFT

"Whereas, Article 48-A of The Constitution of India, inter-alia envisages protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life – The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country;

And whereas, you are aware that during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of Pucca Thread made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as Chinese Thread. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds. It is, therefore, desirable to protect the people and birds from the fatal effects of the kite thread made out of plastic or synthetic thread as Chinese thread;

And whereas, during kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise. All these cut threads along with the kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic materials and being non-biodegradable in nature, these threads continue to be causing problems such as blockage of sewers, drainage lines, natural waterways such as rivers, streams etc. and suffocation of cows and other animals also who eat food items alongwith such plastic materials. Thus the impacts of such plastic materials used for making thread commonly known as Chinese thread are many and varied;

And whereas, extensive use of such Chinese thread which are non-biodegradable, conductors of electricity often result in flash-over on the power lines and substations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life;

And whereas, it is also a well known fact that the activity of the birds is at peak during 6:00 AM to 8:00 AM in morning and from 5:00 PM to 7:00 PM in evening and it is desirable to protect the innocent birds including the vultures which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species, and need to protect them from the fatal manja;

Therefore, in order to prevent adverse effects on human beings, cattle population, soil and ecology and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 667 (E) dated 10th September, 1992, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby directs the following:-

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply and use of nylon, plastic and Chinese manja and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or other sharp objects in National Capital Territory of Delhi.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread/ natural fibre free from any metallic/ glass components.

This notification shall come into force on the date of its final publication in the Delhi Gazette.

Note : The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, or the rules made thereunder shall be punishable under section 15 of the said Act which include imprisonment upto five years and /or with fine which may be extended to Rs. One Lac or with both.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

CHANDRAKER BHARTI, Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.17 23:45:20 +05'30'